र्राजस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

# pazette of India असाधारण

EXTRAORDINARY

थाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II -Section 3-Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

3751

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 26, 2012/श्रावण 4, 1934

No. 375

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 26, 2012/SHRAVANA 4, 1934

### संस्कृति मंत्रालय

#### अधिसूचना

# नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2012

सा.का.नि. 587( अ ). संस्कृति मंत्रालय के दिनांक 9-4-2003 के का.आ. 439(आ) के अधिक्रमण में तथा कलाक्षेत्र प्रतिष्ठान अधिनियम, 1993 (1994 का 6) की धारा 31 की रुप-धारा 2 के खंड (म) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा, कलाक्षेत्र प्रतिष्ठान चेन्नई में निदेशक के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्घात् :—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्म---(1) इन नियमों को संस्कृति मंत्रालय, कलाक्षेत्र प्रतिष्ठान, चेन्नई (निदेशक) भर्ती नियम, 2012 कहा जाएगा ।
  - (2) से सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेसनमान,—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके बेसनमान से होंगे, जो इन नियमों से उपायद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि,—उक्त पद पर भर्ती की पद्भित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (14) में विनिर्दिष्ट हैं।
  - 4. निर्मिता,—वह व्यक्ति;—
    - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
  - (छ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

बशर्ते कि यदि सेन्द्रीय सरकार इस तथ्य से संतुष्ट हो जाती है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुजेय हैं और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति की इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियाों के किसी उपवंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए, आदेश द्वारा शियल कर सकेंगी।
- 6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुमार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

31





2		THE	NDIA: EXTRAC	DINARY [PART II—Sec.			
			34	नुसूची 			
पद का नाम	प्दों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद या अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का कायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) निवम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुत्तेय हैं या नहीं	सीधी भर्ती के लि आयु-सीमा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
्युतक	!*(2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	स्रमूह 'क' (अन्नुसंचिवीय)	37400-67600 सः तथा ग्रेड चेतन 8900 रुपये	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	तागू नहीं होता	
	के लिए अपेक्षित अन्य अर्हताएं			गै भर्ती के लिए विशि पदोन्तत स्थक्तियों व गै	₩	गितिनयुक्ति की दि कोई हो	
(8)			(9)		(10)	(10)	
लागू नहीं होता		लागू महीं होता		लागू नहीं होता			
की पद्धति : क्या सीधी मर्ती द्वारा या ति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी वाली रिक्तियों की प्रतिशतता			प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रीणया जिनसे प्रोनिति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा				
(11)			······································	(12)			
0.0.		<del></del>	·				

#### प्रतिनियुक्ति : (सविदा सहित)

टिप्पण 1: इस नियुक्ति के ठीक पहले की प्रतिनियुक्ति को संवर्ग बाह्य पद पर इसी विभाग या दूसरे संगठन या केन्द्र सरकार के किसी भी विभाग में की जाएगी, सामान्यतः वसकी अविधि गाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पंण 2: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किए जाने के लिए अधिकतम आयु, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए : प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन :

सशस्त्र सेना के ऐसे कार्मिक जो सेवानिवृधि के करीब हैं या जिनको एक वर्ष के अंदर ही रिजर्ल के खिए स्थानंतरित किया जाना है और उनके पास व्यक्तित अनुभव और योग्यताएं हैं, उन पर भी विचार किया जाएगा । ऐसे व्यक्तियों को प्रतिनियुक्ति की अविधि, उस समय तक दी जाएगी, जब तक उनकी सशस्त्र सेना से इटने का समय नहीं आ जाता है, उसके गश्चात् उनकी पुनर्नियोजित करने के लिए विचार किया जा सकता है।

#### प्रतिनियुक्ति :

- (कं) केन्द्रीय सर्कार अथवा राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्वायच निकायों, साविधिक संगठनों अथवा मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों में कार्यरत ऐसे अधिकारी:
- (i) जिन्होंने नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; अथवा
- (ii) जिन्होंने मूल काड्र या विभाग में 8700 रुपये के ग्रेड बेतन के साथ 37400-67000 रुपये के वेतनमान या समतुल्य के पद में नियमित आधार पर दो वर्ष सेवा की हो; अथवा
- (iii) 8700 रुपये ग्रेड वेतन सहित 37400-67000 रुपये के चेतनमान तथा 7600 के ग्रेड वेतन सहित 15600-39100 रुपये के वेतनमान में या समतुत्त्य वेतनमान में सम्मिलित रूप से आठ वर्ष की सेवा नियमित आधार पर की हो।
- (ख) किसी एक दक्षिण भारतीय भाषा नामत: तेलगू, तिमल, कन्नड, या मलयालम का जान ।

टिप्पण: प्रतिनियुद्धित पर कार्यकाल की अवधि 3 वर्ष की होगी। इस अवधि को, क्षेन्द्र सरकार द्वारा गठित की गई समिति द्वारा संतोषप्रद-निष्पादन की समीक्षा के आधार पर, 2 वर्ष या उस लाभार्थी के अपने मूल संवर्ग में उसकी सेवा-निवृत्ति के समय तक जो भी पहले हो, तक बढ़ाया जा सकता है।



भारत का राजपत्र : असाधारण —खण्ड ३(i)]

(12)

संविदा के अधार पर : शैक्षिक अईताएं :-

(क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक.

(ख) भारतीय संस्कृति अर्थात—नृत्य, संगीत, रंगमंच, साहित्य आदि के शास्त्रीय या पारंपरिक कला के किसी भी रूप के क्षेत्र के योग्य, प्रतिष्ठित और अनुभवी व्यक्ति।

(ग) किस्तो भी दक्षिण भारतीय भाषा, नामतः :--तेलग्, तीमल, कन्नड या मलयालम का ज्ञान ।

टिप्पण 1: संविदा के आधार पर नियुक्ति 3 वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी तथा संतोषप्रद कार्य-निष्पादन के अध्यधीन और अधिकतम 65 वर्ष की आयु-सीमा तक बढ़ाया जा सकता है।

टिप्पण 2 : संविदा के आधार पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा 62 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 : संविदा के आधार पर नियुक्ति के मामले में, पदधारी की सेवा की निबंधन और शर्ते, संदुश पद घारण करने वाले केन्द्र सरकार के समृद्ध 'क' अधिकारी के अनुरूप होंगी।

यदि विभागीय प्रोन्तिति समिति है तो उसकी संरचना

मती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से प्रामर्श किया जाएगा

(14)

निदेशक का चयन खोज समिति पद्धति द्वारा किया जाएगा । खोज समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे :---

लाग नहीं होता ।

प्रतिष्ठान के शासी बोर्ड का अध्यक्ष

(13)

सचिव, संस्कृति मंत्रालय

सदस्य

सदस्य

शासी बोर्ड द्वारा नामित किया जाने वाला (iii) एक विशेषज्ञ

संस्कृति मंत्रालय द्वारा नामित किया जाने वाला

--सदस्य

एक विशेषस

[फा. स. 11-5/2011-अकादमी]

डॉ. वेणु वी, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF CULTURE

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 25th July, 2012

G.S.R. 587(E).—In supersession of Ministry of Culture S.O. 439 (E), dated 9-4-2003 and in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (2) of Section 31 of the Kalakshetra Foundation Act, 1993 (6 of 1994), the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Director in the Kalakshetra Foundation, Chennai, namely:-

1. Short title and commencement .- (1) These rules may be called the Ministry of Culture, Kalakshetra Foundation, Chennai, (Director) Recruitment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of posts, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed hereto. 33



THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

[PART II--SEC. 3(

- 3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc .. The method of recruitment to the said posts, age-lim qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.
  - Disqualification.—No person,—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal lav applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds, for so doing, exempt an person from the operation to this rule.

- 5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, i may by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect of any class o category of persons.
- 6. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-lithit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex-servicement and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### Name of Number of Classification Scale of pay Whether Whether benefit of the post post selection/ added years of non-selecservice admissible tion post under rules 30 of the Central Civil Sevices (Pension) Rules. 1972 (1)(2)(3)(4)(5) (6) Director 1 \* (2012) Group "A" Rs. 37400-67000 Not Not applicable \*Subject to (Non-Ministerial) Plus Grade Pay applicable variation Rs. 8900 dependent on workload. Age-limit of direct Educational and other Whether age and Period of probation/ recruits qualifications required qualifications prescribed deputations, if any for direct recruits for direct recruits will apply in the case of promotees (7)(8)**(**9) (10)Not applicable Not applicable Not applicable Not applicable Method of recruitment : Whether by direct in case of recruitment by promotion or deputation, grades from recruitment or by premotion or by deputation or which promotion or deputation or absorption to be made absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods (1:1)(12)Deputation: (including contract)

Deputation:

recognized research institutions.

(a) Officers of Central Government or State Governments, Union

Territories, Autonomous bodies, Statutory organizations or

Note 1.—Period of deputation in another ex-cadre

post held immediately; preceding this appointment

In the same or other organization or department of

[भाग [[—खण्ड 3(i)]

भारत का राजपत्र : असाधारण

(11)

(12)

the Central Government shall ordinarily not exceed five years.

Note 2. The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.

For Ex-servicemen:

Deputation or re-employment: The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and baving the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons shall be given deputations terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces, thereafter they may be considered on re-employment.

(i) holding analogous post on regular basis; or

(ii) two years' regular service in the scale of pay of Rs. 37400

67000 plus Grade pay Rs. 8700 or equivalent, in the parent cadre or department; or

(iii) eight years' combined regular service in the scale of pa Rs. 37400-67000 plus Grade pay of Rs. 8700 and Rs. 15600-3910 plus Grae pay of Rs. 7600 or equivalent.

(b) Knowledge of any South Indian Language namely Telugu,

Tamil, Kannada or Mulyalam.

Note-The term for appointment on deputation shall be for a period of 3 years. The term may be extended, subject to substactory performance to be reviewed by a Committee constituted by the Central Government, for a period not exceeding 2 years o the date of retirement of such an incumbent in his parent cadre whichever is earlier.

On Contract basis:

Educational Qualifications:-

- Graduate in any discipline from a recognized University or equivalent,
- Persons of ability, standing and experience in the field of (b) classical or traditional art form of Indian Culture viz., Dance, Music, Theatre, Literature, etc.
- Knowledge of any South Indian Language namely Telugu. (c) Tamil, Kannada or Malyalam.

Note 1.—Appointment on Contract basis shall be for a period of three years and may be extended subject to satisfactory performance and maximum age-limit of sixty five years.

Note 2.—The maximum age-limit for appointment on contract shall not exceed sixty two years.

Note 3.—In case of appointment on contract basis, the terms and conditions of service of the incumbent of the post shall be as applicable to a Group 'A' officer of the Central Government holding analogous post.

If a Departmental Promotion Committee exists,
what is its composition

(13)

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

The Director shall be selected by a Search Committee procedure.

Not applicable

The Search Committee shall consist of --

- 1. Chairman of the Governing Board of the Foundation Chairman
- Secretary, Ministry of Culture

---Member

- An expert to be nominated by the Governing Board
- ---Member
- An expert to be nominated by the Ministry of Culture
- ---Member

[ F. No. 11-5/2011-Akademies] Dr. VENU Y, Jt. Socy.

27676,5/12-2

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications. Delhi-110054.